आपराधिक पुनरीक्षण

जस्टिस जेएस बेदी के समक्ष

शिव लाल और अन्य, -याचिकाकर्ता

बनाम

हीरा लाल, -प्रतिवादी।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 49-आर, 1968

*23 सितंबर,*1968.

दंड प्रक्रिया संहिता (वी 1898)—एस. 145 (4)—के तहत संपत्ति कुर्क करने वाला मजिस्ट्रेट—क्या उसके प्रशासन के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145(4), परंतुक 3 के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि एक मजिस्ट्रेट किसी भी समय विवाद में संपत्ति को कुर्क कर सकता है जब संहिता की धारा 145(4) के तहत उसके समक्ष कार्यवाही लंबित हो। कुर्की के समय मजिस्ट्रेट एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। कुर्क की शक्ति अपने साथ रिसीवर की नियुक्ति की शक्ति भी रखती है; अन्यथा, यह पूरी तरह से अप्रभावी होगा। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत संपत्ति कुर्क करने के बाद खुद जाकर उस पर कब्जा कर लेगा और उसे प्रशासित करने के लिए रिसीवर के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा।

(पैरा 2)

धारा 438, *के तहत मामला दर्ज किया गया है* । श्री ए के. सिन्हा, कार्यकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिवानी के दिनांक 14 सितंबर, 1967 को, आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 145 के तहत कार्यवाही में सरपंच को रिसीवर के रूप में नियुक्त के आदेश के पुनरीक्षण के लिए श्री सीएस तिवाना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा आदेश ।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यूडी जऔर, वकील।

प्रतिवादी की ओर से वकील एम के महाजन।

निर्णय

जस्टिस बेदी –

केवल पुत्र हर लाल ने अर्जन पुत्र शिव लाई और अन्य के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में एक आवेदन दिया। मजिस्ट्रेट ने पक्षों की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का भी अवलोकन किया और संतुष्ट महसूस किया कि तत्काल कार्रवाई हुई थी विवादित भूमि को लेकर पक्षों के बीच शांति भंग होने का खतरा। इसलिए, उन्होंने आदेश दिया कि भूमि कुर्क की जाए और 14 सितंबर, 1967 के अपने आदेश के तहत उक्त संपत्ति के रिसीवर के रूप में एक सरपंच को भी नियुक्त किया जाए। उत्तरदाताओं, यानी, शिव लाई और पार्टी ने इस वार्ता के खिलाफ पुनरीक्षण किया। सत्र न्यायालय का आदेश श्री सीएस तिवाना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के समक्ष आया। उस दिन, आदेश पर दो आधारों पर हमला किया गया था। सबसे पहले, उनके सामने यह तर्क दिया गया था कि मजिस्ट्रेट ने यह उल्लेख नहीं किया था कि मामला आपातकाल का था, इसलिए विवाद में भूमि को कुर्क करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दूसरे, उनके सामने यह आग्रह किया गया कि मजिस्ट्रेट ने संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया। पहले आधार ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्रभावित नहीं किया, लेकिन दूसरे ने उन्हें अपील की और इसलिए, उन्होंने महसूस किया कि मजिस्ट्रेट को केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत संपत्ति संलग्न करने की शक्ति दी गई थी, रिसीवर नियुक्त करने की नहीं। और रिसीवर को केवल धारा 146(2) के तहत नियुक्त किया जा सकता है जब कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा सिविल कोर्ट को भेजी जाती है। उन्होंने दीवान चंद और अन्य बनाम सम्राट पर भरोसा किया और इस न्यायालय से सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर के रूप में सरपंच की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(2) दलीलें सुनने के बाद मुझे लगता है कि सिफ़ारिशें स्वीकार नहीं की जा सकतीं और इन्हें ठुकरा दिया जाना चाहिए। धारा 145, उपधारा (4), परंतुक 3, जो इसके अंतर्गत चलती है, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट विवाद में संपत्ति को किसी भी समय कुर्क कर सकता है जब उसके समक्ष धारा 145 (4) के तहत कार्यवाही लंबित हो। —

> "बशर्ते यह भी कि, यदि मजिस्ट्रेट मामले को आपातकालीन मानता है, तो वह इस धारा के तहत अपना निर्णय लंबित होने तक किसी भी समय विवाद के विषय को संलग्न कर सकता है।"

यह भी स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146(2) के तहत मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है, जिस पर विवाद है, लेकिन इस प्रावधान के तहत वह ऐसा तभी कर सकता है, जब वह धारा में ही दिए गए कारणों से। पार्टियों के बीच विवाद का फैसला नहीं कर सकता और मामले को सिविल कोर्ट में भेज देता है। मेरे समक्ष मामले में पक्षों के बीच विवाद अभी भी लंबित थामजिस्ट्रेट. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह विवादित संपत्ति कुर्क कर सकते हैं। यदि ऐसा है, तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि मजिस्ट्रेट उस समय एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। लगाव की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की शक्ति अपने साथ रखती है, अन्यथा, यह पूरी तरह से अप्रभावी होगी। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत संपत्ति कुर्क करने के बाद खुद जाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा और रिसीवर के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा।

(3) मेरा ध्यान विपरीत पक्ष द्वारा प्रेम कुमार और अन्य बनाम बनारसी दास की ओर भी आकर्षित किया गया है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि धारा 145 के तहत कुर्की कब्ज़ा करके या रिसीवर की नियुक्ति करके या निषेधात्मक आदेश द्वारा की जा सकती है। किराए के भुगतान, कब्ज़े की डिलीवरी आदि पर रोक लगाना। यह बताया गया था कि ये कुर्की के मान्यता प्राप्त तरीके थे और कोई भी एक या अन्य तरीका अपनाया जा सकता था जो कि वस्तु के लिए उपयुक्त माना जा सकता था और न्यायालय ऐसा नहीं कर रहा था। केवल अंतिम विधि तक ही सीमित है जो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान की गई है।

(4) मेरा ध्यान जेठमुल भोजराज और अन्य बनाम बारबंस नारायण स्मघ और अन्य की ओर भी आकर्षित हुआ, जिसमें यह निर्धारित किया गया था।-

> धारा 145(4) के तहत विवाद में संपत्ति को कुर्क करने के मजिस्ट्रेट के अधिकार में, आपराधिक पीसी में संलग्न संपत्ति के प्रबंधन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का उसका अधिकार शामिल है। संपत्ति। कुर्की का आदेश एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, और इसलिए, कुर्क की गई संपत्ति के प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार भी एक प्रशासनिक आदेश नहीं कहा जा सकता है।

(5) तभी मेरा ध्यान जोशुआ शंकरन बनाम वर्गीस जैकब की ओर गया। इसमें इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: -

"मजिस्ट्रेट चुप नहीं रह सकता अगर वह संतुष्ट है कि कब्जे के विवाद के परिणामस्वरूप शांति भंग होने की संभावना है। ऐसा कुछ भी होने से रोकने के लिए वह संपत्ति कुर्क कर सकता है और इसे रिसीवर के हाथों में दे सकता है।

माउंग सान यू बनाम माउंग लू गेल और नंदकिशोर प्रसाद सिंह बनाम राधाकिशन में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसलिए, मैं इन फैसलों का पालन करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को खारिज करता हूं और इस याचिका को खारिज करता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा